

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 26 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 26 के कार्यान्वयन और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करने के लिए नालको ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। जिसमें इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग और लोक अधिकारियों द्वारा अपनी गतिविधियों के बारे में समयानुसार और प्रभावी प्रसार को बढ़ावा देने के लिए सटीक जानकारी का उल्लेख करने, कर्मचारियों की समझ विकसित करने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रमों, प्रशिक्षण सत्रों, कार्यशालाओं का नियमित विकास एवं आयोजन; विशेष रूप से अपने नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रासंगिक और आसानी से समझने योग्य मार्गदर्शिका और प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करके उन्हें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, इसके उद्देश्यों और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने के लिए प्रशिक्षण देना शामिल है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	तिथि	एजेंसी	स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
1	सूचना का अधिकार अधिनियम (आंतरिक)	10-11 अगस्त, 2023	डॉ. एच. एस. राणा, मुख्य निदेशक, आईपीए, बेंगलूरु	मा.स.उ. केंद्र, भुवनेश्वर	29
2	सूचना के अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन (वाह्य)	14-15 सितम्बर, 2023	स्कोप, नई दिल्ली	होटल क्लार्क अवध, 8 एमजी रोड, लखनऊ	3
	कुल				32